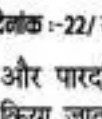


कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला बस्तर, जगदलपुर

“अधिसूचना”

क्रमांक/क./अ-अर्जन / 2025/12/25700001 / 3-82 / 25-26,

अजलपुर दिनांक - 22/ जून/ 2026



भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वसयस्थान में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 19 (2) के तहत यह घोषित किया जाता है ग्राम धर्माडिहा के अन्तर्गत चंदेला - धर्माडिहा से अमलीधार मार्ग के कि.मी. 1 / 3 भंवरडीह नदी पर उत्तरीयरी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम धर्माडिहा, प.ह.न. 02, रा.नि.म. मारडूम, तहसील लोहणडीगुड़ा जिला बस्तर स्थित निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार / परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा।

क्र.	पुनर्वासन और पुनर्वसयस्थान विस्थापन की अवसथ	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है जो ब्यवस्था है ।
01	विस्थापन की दस्ता में मकान प्रकृषयों की व्यवस्था ।	लागू नहीं होता ।
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता ।
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता ।
04	सार्वभिक या नियोजन का विकास	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग निर्देशा क्रमांक एच-74 / स-1 - 1/2015 दिनांक 29.08. 2016 में निहित निर्देश / प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची “दे” की कंडिका-4 का लाभ प्राप्त प्रभावित खातेदार / परिवार को प्राप्त होगा ।
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्याह अनुदान	लागू नहीं होता ।
06	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता ।
07	पशु बाड़ा / छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता
08	करीगरी, छोटे व्यापारीय और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता ।
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता ।
10	एक बार पतयवस्थान भत्ता	लागू नहीं होता ।
11	रज्याय शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता ।

2/ तत्पश्चात आज दिनांक / जून/ 2026 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
कलेक्टर,
जिला बस्तर
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी-262701786

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

C/PDCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

(cin:U40108CT2003SGC015822)

आम-सूचना

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अंतिम टू-अप, निर्याण अवधि एवं 2026-27 से वर्ष 2029-30 के बहुवर्षीय टैरिफ हेतु सफल राखन आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु विद्युत अनुभूति की पुनरावलोकन के निर्धारण हेतु चर्चित गठनीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे पर्यवेक्षण क्रमांक 103/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया। कानूनीय आयोग द्वारा जनसमुदाय एवं आमजन को सूचित करवाया, वर्ष 2026-27 के निम्ने टैरिफ औरतार दिनांक 15.06.2026 को जारी किया है। इस अधिनियम में विवरण संकेतों के लिए वर्ष 2026-27 हेतु रु. 7.13 प्रति यूनिट औरतार अनुभूति दर पर रु. 28347.45 करोड़ की मुद्रा चार्जिंग राखन आवश्यकता स्वीकृत की गई है जिसमें टू-अप वर्ष 2024-25 का रु. 3884.29 करोड़ की राखन कमी (पी) समाहित है। इस टैरिफ औरतार में वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित एवं उच्चदाब पर अनुभूति हेतु विद्युत दरो के निर्धारण भी किया गया है जिसका संशोधन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। नई दरें दिनांक 01.07.2026 से 31.03.2027 अथवा आगामी टैरिफ औरतार के प्रावधानों होने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक लागू रहेंगे:-

वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत दरें

1. निम्न दाब टैरिफ:

टैरिफ श्रेणी	उपभोक्ता का वर्ग	यूनिट स्लैब	नियत प्रभाव	ऊर्जा प्रभाव (रु./केडब्ल्यूएच)	मासिक न्यूनतम प्रभाव
एलसी-1	घरेलू सहित बीबीएल उपभोक्ता	0-100 यूनिट	रु. 20/- प्रति कि.वा. प्रति माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. तक	4.40	नियत प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
		101-200 यूनिट	रु. 30/- प्रति कि.वा. प्रति माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. से अधिक और 10 कि.वा. तक	4.50	
		201-400 यूनिट	रु. 50/- प्रति कि.वा. प्रति माह स्वीकृत भार 10 कि.वा. से अधिक	6.00	
		401-600 यूनिट		7.00	
		601 एवं उससे अधिक यूनिट		8.80	
एलसी-2	गैर-घरेलू उपभोक्ता				
एलसी-2.1	मिश्रित कैसा गैर-घरेलू (5 किलोवाट तक)	0-100 यूनिट	रु.60 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.50	नियत प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
		101-400 यूनिट		7.60	
		401 एवं उससे अधिक यूनिट		9.10	
एलसी-2.2	डी फेस गैर-घरेलू	0-400 यूनिट	मांग प्रभाव - बिलिंग डिमांड पर रु.130/कि.वा./माह	7.50	संबंधित मांग पर मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
		401 एवं उससे अधिक यूनिट		9.00	
		सभी यूनिटों पर	मांग प्रभाव - बिलिंग डिमांड पर रु. 210/कि.वा./माह	8.40	
एलसी-2.3	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	सभी यूनिटों पर	-	7.13	
एलसी-3	एल.बी. ड्यूटी	-	रु.100/एम्पली/माह	6.20	नियत प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
एलसी-4	एल.बी. कृषि सहकारी कार्य	-	रु.100 प्रति एम्पली प्रति माह या रु.134 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.10	नियत प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
एलसी-4.1(अ)	25 एम्पली से अधिक	-	रु.110 प्रति एम्पली प्रति माह या रु.147 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.65	
एलसी-4.2	मांग आधारित टैरिफ संबंधित मांग 15 किलोवाट एवं अधिक	-	रु.210 प्रति कि.वा. प्रति माह बिलिंग डिमांड पर	6.85	संबंधित मांग पर मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
एलसी-5	विन्दाबाद उद्योग	-	रु.80/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	4.85	
एलसी-5.1	कस्तेर मिल, होलर, फायरलूम, मसाला ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर, टेरेकोट्ट, हेण्डलूम, इंडिक्रिप्टर, छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स, न्यून वल टर्पकर 25 एम्पली या 18.7 कि.वा. तक	-	रु.80/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	5.35	संबंधित मांग पर मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
	(अ) बस्तर एवं रजिण क्षेत्र आदिवासियों विकास प्राधिकरण, एवं सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासियों विकास प्राधिकरण*	-	रु.80/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	4.85	
एलसी-5.2	अन्य उद्योग	-	रु.120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	6.35	संबंधित मांग पर मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
(अ)	बस्तर एवं रजिण क्षेत्र आदिवासियों विकास प्राधिकरण, एवं सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासियों विकास प्राधिकरण*	-	रु.100/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	5.35	
	एलसी-5.2.2 25 एम्पली से अधिक (18.7 कि.वा.)	-	रु.150/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	7.10	
(अ)	बस्तर एवं रजिण क्षेत्र आदिवासियों विकास प्राधिकरण, एवं सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासियों विकास प्राधिकरण*	-	रु.130/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	6.60	संबंधित मांग पर मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
	* आदेश दिनांक अगस्त 22, 2005 द्वारा अधिसूचित।	-	रु.152/एम्पली/माह या रु. 203/कि.वा./माह	7.60	
एलसी-6	जन उपयोगिता	-	रु. 160/कि.वा./माह	6.25	नियत प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
एलसी-7	सूचना प्रौद्योगिकी और एसआईटी ऑपरेशन/टेक्नोलॉजि इन्फ्रास्ट्रक्चर (न्यूनतम संबंधित मांग 50 कि.वा.)	-	रु. 160/कि.वा./माह	6.25	मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
एलसी-8	अस्थायी कनेक्शन	यह श्रेणी उन विद्युत संयोजनों के लिए है जो अस्थायी प्रकृति के हैं। अस्थायी कनेक्शन हेतु ऊर्जा प्रभाव एवं स्वामी प्रभाव को दो संबंधित उपभोक्ता श्रेणी हेतु लागू दारा का 1.5 गुना है। तथापि अस्थायी कृषि पर कनेक्शन हेतु यह दर स्वाधी एम्पली-3 कृषि पर हेतु लागू सामान्य दरो के समतुल्य है। घरेलू श्रेणी के ऐसे अस्थायी कनेक्शन जो 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वे घरेलू श्रेणी हेतु लागू सामान्य दर से कम किए जाएंगे।			

टाईम ऑफ़ डे (टीओडी) टैरिफ:
टीओडी टैरिफ एलसी-1, एलसी-2, एलसी-5, एलसी-6 एवं एलसी-7 टैरिफ श्रेणी के ऐसे उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका अनुबंध भार 10 किलोवाट से अधिक है एवं जिनके कनेक्शन में स्पष्ट टीएम स्थापित किया जा चुका है।
(अ) एलसी-2.2(ब), एलसी-2.3, एलसी-5, एलसी-6 एवं एलसी-7 हेतु टीओडी टैरिफ निम्नानुसार है:

स.क्र.	उपयोग की अवधि	सामान्य दर के मांग प्रभाव सहित
(I)	सामान्य अवधि (23:00 से 09:00 घंटे तक)	ऊर्जा प्रभाव सामान्य विद्युत दर पर
(II)	गैर उच्च भार अवधि (09:00 से 17:00 घंटे तक) (सोलर अवधि)	ऊर्जा प्रभाव सामान्य विद्युत दर का 95 प्रतिशत होगा।
(III)	उच्चदाब भार अवधि (17:00 से 23:00 घंटे तक)	ऊर्जा प्रभाव सामान्य विद्युत दर का 105 प्रतिशत होगा।

(ब) एलसी-1, एलसी-2.1 एवं एलसी-2.2(अ): इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को गैर-उच्चभार अवधि (सोलर अवधि) में की गई खराब पर 20 फेस प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।
बिलबित भुगतान अधिभार: यदि उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया जाता है, तो कुल बकाया राशि (बकया राशि शामिल होगी परन्तु अधिभार को छोड़कर) पर प्रति दिन या उसके हिस्से के लिए 0.04 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा। यह अधिभार न्यूनतम रु. 5 होगा और बिल में उल्लेखित भुगतान के निमत तिथि से लागू होगा।
बिलों के भुगतान की तिथि: उपभोक्ता को बिलों का भुगतान अतिरिक्त या ऑनलाइन करने का विकल्प होगा। अतिरिक्त/डिजिटल भुगतान के लिए देय ट्रांजेक्शन सुलभ, क्रेडिट कार्डें, हो, तो उपभोक्ता द्वारा कबन किया जाएगा।
2. उच्चदाब उपभोक्ता:

टैरिफ श्रेणी	उपभोक्ता का वर्ग	सर्वदाय चोलेटज	मांग प्रभाव रु./केडी/एम्प/माह	ऊर्जा प्रभाव रु./केडी/एम्प/एच	
एलसी-1	रेलवे टैक्नान	132/220 केडी	400	5.90	
		220 केडी सर्वादा	500	7.25	
एलसी-2	खदान	132 केडी सर्वादा	500	7.40	
		33 केडी सर्वादा	500	7.80	
		11 केडी सर्वादा	500	8.10	
		220 केडी सर्वादा	400	6.95	
		132 केडी सर्वादा	400	7.10	
एलसी-3	अन्य उद्योग एवं सामान्य प्रयोजन गैर औद्योगिक	33 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर >15%)	400	7.55	
		33 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर <=15%) *	200	7.75	
		11 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर >15%)	400	7.85	
		11 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर <=15%) *	200	8.15	
		220 केडी सर्वादा	400	6.40	
		132 केडी सर्वादा	400	6.55	
		33 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर >15%)	400	7.05	
एलसी-4	स्टील इन्फ्रास्ट्रक्चर	33 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर <=15%) *	200	7.55	
		11 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर >15%)	400	7.05	
		11 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर <=15%) *	200	7.85	
		220 केडी सर्वादा	400	6.40	
		132 केडी सर्वादा	400	6.55	
		33 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर >15%)	400	7.05	
		33 केडी सर्वादा (लोड फैक्टर <=15%) *	200	7.75	
एलसी-5	सिंचाई तथा कृषि सहकारी संघों उद्योग एवं जल प्रदाय	51% - 51.99%	1 प्रतिशत	64% - 64.99%	14 प्रतिशत
		52% - 52.99%	2 प्रतिशत	65% - 65.99%	15 प्रतिशत
		53% - 53.99%	3 प्रतिशत	66% - 66.99%	16 प्रतिशत
		54% - 54.99%	4 प्रतिशत	67% - 67.99%	17 प्रतिशत
		55% - 55.99%	5 प्रतिशत	68% - 68.99%	18 प्रतिशत
		56% - 56.99%	6 प्रतिशत	69% - 69.99%	19 प्रतिशत
		57% - 57.99%	7 प्रतिशत	70% - 70.99%	20 प्रतिशत
		58% - 58.99%	8 प्रतिशत	71% - 71.99%	21 प्रतिशत
		59% - 59.99%	9 प्रतिशत	72% - 72.99%	22 प्रतिशत
		60% - 60.99%	10 प्रतिशत	73% - 73.99%	23 प्रतिशत
		61% - 61.99%	11 प्रतिशत	74% - 74.99%	24 प्रतिशत
62% - 62.99%	12 प्रतिशत	75% एवं अधिक	25 प्रतिशत		
63% - 63.99%	13 प्रतिशत				
मासिक लोड फैक्टर यदि 50.99 प्रतिशत अथवा कम हो तो उक्त माह में लोड फैक्टर घट्ट प्राप्त नहीं होगी।					
एलसी-5	सिंचाई तथा कृषि सहकारी संघों उद्योग एवं जल प्रदाय	-	400	7.00	
एलसी-6	आवासिय	-	400	7.10	
एलसी-7	स्टार्ट अप पावर टैरिफ	400/220/132/ 33/ 11 केडी	250	9.40	
एलसी-8	नवीकरणीय खोल से विद्युत उत्पादन के लिये उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग	220/132/33/ 11 केडी	160	5.25	
एलसी-9	सूचना प्रौद्योगिकी और निरालो-मुद्राी वस्त्र उद्योग	-	200	5.35	
एलसी-10	अस्थायी कनेक्शन	यह श्रेणी 220/132/33/11 केडी के सभी उच्चदाब कनेक्शन पर लागू होगी (स्टार्टअप पावर (एलसी-7) के उपभोक्ताओं को छोड़कर) जो अस्थायी प्रकृति के हैं। अस्थायी कनेक्शन हेतु ऊर्जा प्रभाव एवं स्वामी प्रभाव को दो संबंधित उपभोक्ता श्रेणी हेतु लागू दरो का 1.5 गुना होगा।			
एलसी-11	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन एवं सोलर प्लंबट के ऑनग्रेसी कर्जा आवश्यकता हेतु	-	-	6.42	

न्यूनतम प्रभाव:- संबंधित मांग पर मांग प्रभाव ही मासिक न्यूनतम प्रभाव है भले ही विद्युत खराब हुई हो अथवा नहीं।
टाईम ऑफ़ डे (टीओडी) टैरिफ:
टीओडी टैरिफ एलसी-2, एलसी-3, एलसी-4, एलसी-5, एलसी-6, एलसी-8, एलसी-9 एवं एलसी-11 टैरिफ श्रेणी पर लागू होगा।

स.क्र.	उपयोग की अवधि	सामान्य दर के मांग प्रभाव सहित
(I)	सामान्य अवधि (23:00 से 09:00 घंटे तक)	ऊर्जा प्रभाव सामान्य विद्युत दर पर
(II)	गैर उच्च भार अवधि (09:00 से 17:00 घंटे तक) (सोलर अवधि)	ऊर्जा प्रभाव सामान्य विद्युत दर का 90 प्रतिशत होगा।
(III)	उच्चदाब भार अवधि (17:00 से 23:00 घंटे तक)	ऊर्जा प्रभाव सामान्य विद्युत दर का 120 प्रतिशत होगा।

3. पैरैलल ऑपरेशन चार्जस:
कैपिटल चार्ज प्लंबट को उन्हे द्वारा संगठित कैपिटल एवं नॉन कैपिटल लोड के लिए 16 फेस प्रति केडब्ल्यूएच की दर से सोलरपैरोडीसील को पैरैलल ऑपरेशन चार्जस का भुगतान करना होगा।

4. ग्रीन एनर्जी सुलभ:
(अ) ये उपभोक्ता जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा खरीदना चाहते हैं एवं इस उद्देश्य के लिए प्रमाण प्रभाव करना चाहते हैं, उनके द्वारा प्रति यूनिट रु. 0.50 अतिरिक्त देय होगा।
(ब) वितरण लाइसेंसधारी से इलैट (ग्रीन) कर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन एनर्जी सुलभ

अक्षय ऊर्जा का स्कोर	एकता (विश्व)	हाउसिंग	अन्य
ग्रीन ऊर्जा सुलभ (रु./केडब्ल्यूएच)	0.24	1.44	1.00

ग्रीन ऊर्जा सुलभ, संबंधित श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू नियत एवं ऊर्जा प्रभाव के अतिरिक्त देय होगा।
वितरित भुगतान अधिभार: यदि उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया जाता है, तो कुल बकाया राशि (बकया राशि शामिल होगी परन्तु अधिभार को छोड़कर) पर प्रति दिन या उसके हिस्से के लिए 0.04 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा। यह अधिभार बिल में उल्लेखित भुगतान के निमत तिथि से लागू होगा।
बिलों के भुगतान की तिथि: उपभोक्ता को बिलों का भुगतान अतिरिक्त या ऑनलाइन करने का विकल्प होगा। अतिरिक्त/डिजिटल भुगतान के लिए देय ट्रांजेक्शन सुलभ, क्रेडिट कार्डें, हो, तो उपभोक्ता द्वारा कबन किया जाएगा।
(अ) ये उपभोक्ता जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा खरीदना चाहते हैं एवं इस उद्देश्य के लिए प्रमाण प्रभाव करना चाहते हैं, उनके द्वारा प्रति यूनिट रु. 0.50 अतिरिक्त देय होगा।
www.cspdcl.co.in अथवा आयोग की वेबसाइट www.csrc.gov.in देखें।
उपभोक्ता प्रवर्तन में किसी भी प्रकार की विवेचित एवं ज्ञान पर मानवीय क्षतिग्रस्त राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 15.06.2026 को जारी टैरिफ रोडलूम एवं दिनांक 19.06.2026 को जारी सुविध पत्र के प्रावधान मान्य होंगे।

कार्यवाही निदेशक (निका एवं ऊ.प्र.)
छ.स्ट.पॉ.डि.कॉ.लि. रायपुर